तार–जलनिगम

दूरभाष: 2620172, 2620272
फैक्स 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 486 / 2042 – धनावंटन प्रक्रिया/20 दिनांक 09 – 06 – 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाओ के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओ के अन्तर्गत धनराशि अग्रिम में क्षेत्रों को अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये पारित देयको के आधार पर अवमुक्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1327/2042–PFMS/18 दिनांक 27.08.2018 द्वारा व्यवस्था दी गई है। समय–समय पर देयको को आनलाइन प्रणाली के माध्यम से अपलोड करने एवं धन अवमुक्त करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्न पत्रों द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है–

1- 1891/2042-PFMS/2018 दिनांक 20-12-2018
2- 34/2042-PFMS/2019 दिनांक 03-09-2019
3- 1000/2042-PFMS/2019 दिनांक 12-09-2019
4- 1414/2042-PFMS/2019 दिनांक 07-12-2019

पूर्व निर्गत निर्देशों को समाहित करते हुये क्रियान्वित की जा रही समस्त परियोजनाओ पर धन अवमुक्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं–

1. जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओ की सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त परियोजना से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय विवरण की प्रवष्टि आनलाइन upjn.in पर की जायेगी। परियोजना विशेष के कोड आवंटन एवं Basic detail की First time Entry मुख्यालय स्तर से Nodal मुख्य अभियंता के नियन्त्रण में की जायेगी। तत्पश्चात क्षेत्र स्तर से परियोजना विशेष के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य विवरण feed किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत Tender/Contract Bond एवं date of start आदि से संबंधित विवरण की प्रवष्टि संबंधित खण्ड/इकाई द्वारा की जायेगी। ऑकड़ों की शुद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। योजनाओ पर कराये जा रहे कार्यो की प्रगति न्यूनतम सप्ताह में एक बार अवश्य update की जाये तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Lock करना सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना के अन्तर्गत कार्य सम्पादन एवं नियमानुसार कार्यो का मापन सत्यापन उपरान्त देयक से संबंधित विवरण आनलाइन प्रारूप पर पूर्व की भॉति अंकित किया जायेगा एवं feed किये गये विवरण/प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त अपलोड किया जाये।
4. किसी भी परियोजना पर देयक अपलोड करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी धनराशि खण्ड स्तर पर अवशेष न हो एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शत–प्रतिशत व्यय की प्रवष्टि आनलाइन Application पर कर ली गई है। कतिपय खण्डो द्वारा आनलाइन Application में कार्यो हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अंकित व्यय में सेन्टेज सहित प्रवष्टि की गई है, जो सही नही है। कार्य मद में व्यय की अंकित की जाने वाली धनराशि में सेन्टेज की धनराशि सम्मिलित नही की जायेगी। जल निगम के लेखा में परिलक्षित व्यय एवं आनलाइन Application में अंकित व्यय की धनराशि में अन्तर नही होना चाहिये।
5. देयक से संबंधित विवरण को online upload करने की कार्यवाही परियोजना से संबंधित नोडल खण्ड/इकाई द्वारा की जायेगी एवं धनराशि प्राप्त होने पर भुगतान संबंधित फर्म/वेन्डर को तीन कार्य दिवस में किया जाना होगा। यह भी इंगित करना है कि खण्ड को । PFMS के माध्यम से Transfer की गई धनराशि भुगतान संबंधित फर्म/वेन्डर को PFMS से ही किया जायेगा।
6. संबंधित खण्ड द्वारा देयक अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा परियोजना विशेष पर प्रस्तावित देयक को सम्मिलित करते हुये व्यय अनुबन्धित (निविदित) लागत से अधिक नही हो रहा है। निविदित लागत से अधिक होने की स्थिति में वैरियेशन की सक्षम स्तर के अनुमोदन के साथ (परियोजना की कुल स्वीकृत लागत की सीमा तक) देयको को अपलोड किया जाये। इसी प्रकार परियोजना की कुल स्वीकृत लागत से अधिक की स्थिति में बढ़ी हुई पुनरीक्षित लागत की सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त ही देयक अपलोड किये जा सकेगे।

7. प्रत्येक परियोजना हेतु एक ही लेखा रखा जाये तथा विद्युत/यॉत्रिक खण्ड द्वारा संबंधित कार्य सम्पादन के उपरान्त नियमानुसार मापन एवं सत्यापन की कार्यवाही करते हुये देयक को पारित कर संबंधित नोडल खण्ड को प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल खण्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप देयक धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु **online upload** किया जायेगा एवं धनराशि प्राप्त होने पर पारित बिल के सापेक्ष सीधे फर्म/कान्ट्रेक्टर को भुगतान कर संबंधित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को अवगत कराया जायेगा। नोडल खण्ड द्वारा लेखांकन तथा समस्त लेखा अभिलेख तैयार किये जायेगें।
8. प्रत्येक पत्रावली में स्पष्टतः यह अंकित किया जायेगा कि निविदा लागत की सीमा के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार परियोजना की कुल स्वीकृत लागत से अधिक की स्थिति में बढ़ी हुई पुनरीक्षित लागत की सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त ही धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया मात्र धनराशि अवमुक्त करने के लिये स्थापित की गई है। किये जा रहे भुगतान, व्यय का लेखांकन एवं कार्यो के सत्यापन व मापन आदि का दायित्व संबंधित खण्ड/इकाई का ही होगा। क्षेत्र द्वारा किये जा रहे व्यय का लेखांकन एवं उसकी आनलाइन **Application** में प्रवष्टि किये जाने का दायित्व संबंधित लेखानुभाग का ही होगा।
10. वर्ष 2019–20 में प्रत्येक परियोजना के समक्ष अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की प्रवष्टि आनलाइन की जानी सुनिश्चित की जाये एवं भविष्य में किये जा रहे भुगतान की प्रवष्टि आनलाइन प्रगति में नियमित रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
11. प्रत्येक माह की समाप्ति पर प्रत्येक योजनावार आवंटित धनराशि व खण्डों द्वारा धन का उपयोग संबंधी वस्तुस्थिति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अवलोकन हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह के अन्दर पूर्ण वर्ष में आंवटित धनराशि व खण्डों द्वारा भुगतान की गई राशि का मिलान कर लेखा विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
12. प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन ऑकड़ों को भरने, लेखा संबंधी प्रगति व अन्य आवश्यक अभिलेखो को भलीभॉति अपडेट करना, ऑकडो की शुद्धता को बनाये रखने का उत्तरदायित्व उपर वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
13. तदानुसार सभी संबंधित खण्डो को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करें।

08/06/20

(विकास गोठलवाल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :

1. वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊं।
2. समस्त मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम।
5. समस्त संबंधि के उपयोगार्थ **online Portal** पर।

08.06.20
प्रबन्ध निदेशक